

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
आदेश

आदेश सं०- 3258

/पटना, दिनांक:- 23.06.25

विभागाधीनस्थ क्षेत्रीय संस्थानों के अराजपत्रित कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक-24.04.2025 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित अभियुक्ति के आलोक में संबंधित त्रुटियों के निराकरण के उपरांत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देयता पर विचार किया जायेगा-

क्र०	कर्म का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन संस्थान	अभियुक्ति
1	2	3
1.	अशोक कुमार गौरव, अनुदेशक, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	सेवा पुस्तिका के अनुसार यु०जी०सी० वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अतः ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देयता के संबंध में संबंधित प्राचार्य से नियमानुकूल अनुशंसा प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

2. संबंधित कार्यालय प्रधान, जिनके द्वारा सेवा-पुस्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है, को निदेशित किया जाता है कि सेवा पुस्त की प्राप्ति हेतु किसी कर्म को प्राधिकृत कर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

23/6/25
(अहमद महमूद)
निदेशक

ज्ञापांक-वि०प्रा०(III) स्था०-15/2022/ 3258 /पटना, दिनांक:- 23.06.25

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्राचार्य/कार्यालय प्रधान/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/25
निदेशक